न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/47/2023	2023/378	26.072023	21.11.2024

1. फुल सिंह पुत्र श्री छुटटन जाति जटिया निवासी ग्राम दिलावरपुर तहसील व जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज0।

— रेस्पाडेन्ट

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 636 वाके ग्राम दिलावरपुर तहसील व जिला अलवर।

उपस्थितः—
01—श्री अनिल गुप्ता —वकील अपीलाण्ट
02—श्री दीपक मीना — राजकीय अभिभाषक

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 636 निर्णय दिनांक 08.06.2015 वाके ग्राम दिलावरपुर तह0 व जिला अलवर स्वीकृत किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 611 रकबा 0.20 हेक्टेयर, 613 रकबा 0.24 हेक्टेयर, 614 रकबा 0.67 हेक्टेयर वाके ग्राम दिलावरपुर तहसील व जिला अलवर में स्थित है जो अपील में विवादित आराजी है। हाल आराजी खसरा नम्बर 611 रकबा 0.20 हेक्टेयर, 613 रकबा 0.24 हेक्टेयर, 614 रकबा 0.67 हेक्टेयर वाके ग्राम दिलावरपुर तहसील व जिला अलवर के खातेदार काश्तकार मिन अपीलाण्ट के पिता छुटटन पुत्र ईशर कौम जटिया थे जिनकी विरासत का इन्तकाल संख्या 636 दिनांक 08.06.2015 को तहसीलदार, अलवर के द्वारा मृतक छुटटन के वारिसान के नाम श्की जॉच किये बिना ही सन्नू, गुन्ना, इन्द्राज पुत्रान व ताराबाई, मीरा, इन्द्रा, सुमन पुत्रीया छुटटन हिस्सा 7/9, रेशम पत्नी स्व० मदन, महेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान व सुनीता, सरोज, कविता पुत्रान मदन हिस्सा 1/9, रामबाई पत्नी स्व० हजारी, राजेश, राकेश पुत्रान व कृष्णा, बीना रोशनी पुत्रीयान हजारी हिस्सा 1/9 के नाम खोला गया जबकि गुन्ना के जगह मिन अपीलाण्ट फुल सिंह नाम अंकित करना चाहिये था क्योंकि मिन अपीलाण्ट का घर मे बोलता हुआ नाम गन्ना था जबकि उसके सभी दस्तावेजात मे अपीलाण्ट का नाम फुल सिंह था लेकिन तहसीलदार, अलवर द्वारा मिन अपीलाण्ट को बिना सुने व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये व बिना दस्तावेजात प्राप्त किये ही मिन अपीलाण्ट का घर का बोलता हुआ नाम गन्ना दर्ज करते हुये इन्तकाल खोल दिया गया और इसी प्रकार से राजस्व रिकोर्ड मे मिन अपीलाण्ट का नाम कैलाश के स्थान पर गन्ना अंकित चला आ रहा है। तहसीलदार, अलवर द्वारा इन्तकाल स्वीकृत किये जाने से पूर्व मृतक छुटटन के वारिसान के सही नाम व दस्तावेज के सम्बन्ध मे समस्त जॉच कर इन्तकाल खोला जाना चाहिये था लेकिन तहसीलदार, अलवर द्वारा अपने कार्यालय मे बैठकर गाँव के लोगो से केवल पुछताछ कर ही अपीलाण्ट का घर का बोलता हुआ नाम गन्ना का नाम अंकित करते हुये इन्तकाल खोल दिया गया जो गलत है जबकि मिन अपीलाण्ट का दस्तावेजी सही नाम फुल सिंह है एवं मिन अपीलाण्ट मृतक छुटटन का कानूनी वारिस व उत्तराधिकारी है। अपीलाधीन इन्तकाल आदेश गलत होने पर निरस्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल संख्या 636 दिनांक 08.06.2015 मे मिन अपीलाण्ट का गलत नाम गन्ना अंकित किये जाने के कारण राजस्व रिकोर्ड मे मिन अपीलाण्ट का गलत नाम गन्ना ही अंकित चला रहा है जिस कारण मिन अपीलाण्ट के कानूनी हक व हकूक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जायल हो रहे हैं एवं मिन अपीलाण्ट को नापूर्ति होने वाली क्षति हो रही है। मिन अपीलाण्ट जो एक ग्रामीण व अनपढ व्यक्ति है जिसको यह जानकारी नहीं थी कि मिन अपीलाण्ट का गलत नाम इन्तकाल संख्या 636 दिनांक 08.06.2021 में गन्ना अंकित होने के आधार पर राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज चला आ रहा है तथा मिन अपीलाण्ट को अपने हिस्से की आराजी पर ऋण की आवश्यकता होने पर मिन अपीलाण्ट ने दिनांक 08.03.2023 को राजस्व रिकोर्ड का अवलोन किया तो जानकारी हुई कि अपीलाधीन आराजी मे मिन अपीलाण्ट का नाम फुल सिंह के स्थान पर गन्ना अंकित चला रहा है जिस पर हल्का पटवारी ने बताया गया कि मृतक छुटटन की विरासत इन्तकाल खोलने के समय ही आपका नाम गलत अंकित हो गया होगा जिस आधार पर वर्तमान राजस्व रिकोर्ड मे आपका गलत नाम गन्ना अंकित चला आ रहा है जिस पर अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन इन्तकाल आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया जो नकल दिनांक 10.03.2023 को प्राप्त हुई जिस पर मिन अपीलाण्ट द्वारा अपने वकील साहब से कानूनी सलाह व मशवरा किया तो वकील साहब द्वारा इन्तकाल आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की सलाह दी गई। इस प्रकार इन्तकाल आदेश दिनांक 08.06. 2015 की जानकारी दिनांक 08.03.2023 से नकल प्राप्त करने की दिनांक 10.03.2023 तक मिन अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का समय कन्डोन किया जाना न्यायहित मे न्यायोचित है इसलिये प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः अपील मिन अपीलाण्ट की ओर पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 836 आदेश दिनांक 08.06.2015 तहसीलदार, अलवर को अपास्त कर मिन अपीलाण्ट का नाम गुन्ना के स्थान पर फुल सिंह अंकित कराये जाने के आदेश दिये जाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 08. 06.2015 के विरूद्व दिनांक 28.10.2023 को पेश की गयी है जो करीब 08 साल 04 माह 09 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड, कक्षा दसवीं की मा0 शिक्षा बोर्ड राज0 की अंकतालिका वर्ष, 1987 एवं आधार कार्ड अनुसार अपीलाण्ट का वास्तविक नाम फुल सिंह है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का नाम गुन्ना त्रुटिपूर्वक दर्ज किया गया है, जो कि एक विधिक त्रुटि है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश नामा0 सं0 636 दिनांक 08.06.2015 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि अपीलाण्ट का नाम गुन्ना के स्थान पर फुल सिंह नियमानुसार नवीन नामान्तकरण दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)